न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–पन्ना R - 2100 -III /2011

घनश्याम प्रसाद पुत्र श्री रामलखन ब्राह्मण निवासी– ग्राम भिलसायं, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

मृत– (1) राममित्र पुत्र स्व.श्री प्रभूदीन ब्राह्मण

(2) रामसिया पुत्र स्व.श्री प्रभूदीन ब्राह्मण

(3) श्यामलाल पुत्र श्री बैजनाथ ब्राह्मण

निवासीगण– ग्राम भिलसायं, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.) . .... अनावेदकगण

न्यायालय कमिश्नर, सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 119/अ/2009–2010/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.11.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

मामले के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, राममित्र एवं रामसिया दोनों पुत्रगण श्री प्रभुदीन ब्राह्मण निवासी ग्राम भिलसायं द्वारा अपर कलेक्टर, जिला पन्ना को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके मालिकाना स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि बन्दोबस्त के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अनावेदक श्यामलाल आत्मज श्री बैजनाथ एवं घनश्याम आत्मज श्री रामलखन के नाम कर दी गयी है। जिसका सुधार कराया जाये। अपर कलेक्टर पन्ना के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को स्वंमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर प्रकरण कमांक 94/2008–09 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा आदेश दिनांक 30.09.2009 पारित कर यह आदेश दिया गया कि ग्राम भिलसायं में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1153/1, 1154 रकवा कमशः 0.535 हैक्टेयर एवं 0.854 हैक्टेयर भूमि खसरा वर्ष 1979–80 से 1983–84 तक राममित्र ब्राह्मण आदि के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर पटवारी अभिलेख में दर्ज थी, इसके बाद नवीन बन्दोबस्त सर्वे के दौरान उक्त आराजी से निर्मित आराजी नम्बर 2604 रकवा 1.39 हैक्टेयर अधिकार अभिलेख वर्ष 1985 के अनुसार अनावेदक घनश्याम आत्मज श्री रामलखन ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दी गयी है! बन्दोबस्त के दौरान उक्त की गयी कार्यवाही विधि विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2100/तीन/2011 जिला–पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 119/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.11.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 *(जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा)* के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि राममित्र एवं रामसिया दोनों पुत्रगण स्वर्गीय श्री प्रभूदीन ब्राह्मण, निवासी ग्राम भिलसांय द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर, पन्ना को प्रस्तुत किया कि उनके मालिकाना स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि बन्दोबस्त के द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि–विरूद्ध तरीके से श्यामलाल पुत्र बैजनाथ एवं घनश्याम पुत्र रामलखन दोनों निवासी ग्राम भिलसांय के नाम कर दी है, जिसका सुधार कराया जाये। अपर कलेक्टर, पन्ना ने प्रकरण को स्वंमेव निगरानी में लिया जाकर आदेश दिनांक 30.09.2009 पारित कर ग्राम भिलसांय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1153/1, 1154 रकवा क्रमशः 0.535 है0 एवं 0.854 है0 भूमि खसरा वर्ष 1979–80 से 1983–84 तक राममित्र आदि के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर पटवारी अभिलेख में दर्ज थी। इसके बाद नवीन बन्दोबस्त सर्वे के दौरान उक्त आराजी से निर्मित नवीन आराजी नम्बर 2604 रकवा 1.39 है0 अधिकार अभिलेख वर्ष 1985 के अनुसार घनश्याम पुत्र रामलखन	

ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दी गयी। बन्दोबस्त के दौरान उक्त की गयी कार्यवाही विधि विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि पुराना खसरा नम्बर 1153/1 एवं 1154 रकवा क्रमशः 0.535 है0 एवं 0.854 है0 से निर्मित नवीन खसरा नम्बर 2604 रकवा 1.39 है0 पूर्ववत राममित्र एवं रामसिया के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 15.11.2011 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बन्दोबस्त के दौरान भूमि की बदली अनावेदकगण की सहमति से की गयी थी। उक्त परिवर्तन व विसंगति सूची में समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर है, किन्तु अनावेदकगण के मन में बद्यान्ती आ जाने से उक्त सहमति के विरूद्ध अपर कलेक्टर, पन्ना के न्यायालय में स्वमेव पुनरीक्षण में कार्यवाही लगभग 25 वर्ष पश्चात् की है, जो किसी भी स्थिति में प्रचलन योग्य नहीं थी। बन्दोबस्त के दौरान की गयी कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में अपील में चुनौती दी जानी चाहिए थी ना कि पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की है, वह विधिवत एवं उचित नहीं होने से अपास्त किये जाने एवं निगरानी

स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक अपने तर्को में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की कोई परिसीमा नहीं है और प्रकरण को किसी भी समय स्वप्रेरणा पुनरीक्षण में लिया जा सकता है। इस संबंध में 1998 आर.एन.– 73 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि बन्दोबस्त के दौरान की गयी कार्यवाही में उनकी कोई सहमति नहीं है। इसके अलावा उपरोक्त प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। जिन्हें पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में 1996 आर.एन.– 170 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। अंत में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में लम्बे समय पश्चात् लिया है। जबकि 1996 आर.एन. 80 एवं ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1297, 2002 आर.एन. 156, 2008 आर.एन.100 के न्यायदृष्टांतों में स्पष्ट किया है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियॉ कुछ मास के भीतर प्रयुक्त की जानी चाहिए–शब्द किसी भी समय–अर्थान्वयन युक्तियुक्त समय होना चाहिए। अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा प्रकरण में स्वप्रेरणा से कार्यवाही लगभग 25 वर्ष पश्चात् की है, जो किसी भी स्थिति में प्रचलन योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण किये जाने की समयावधि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में निर्धारित की गयी है। इस प्रकरण में पुनरीक्षण अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में समयावधि के प्रावधान लागू होगें। बन्दोबस्त के दौरान की

गयी कार्यवाही अंतिम प्रवृति की कार्यवाही है, जिसके विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण एवं स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण नहीं नहीं किया जा सकता। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने का प्रश्न है तो इस प्रकरण में विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह साक्ष्य पर आधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किया जा सकता है। 1986 आर.एन.23 में उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया है कि निचले न्यायालयों के तथ्यों के एक ही निष्कर्ष– निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त वैधानिक बिन्दुओं पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है, वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 119/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.11.2011 एवं अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/स्वमेव निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार, देवेन्द्रनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें।

सदस्य